[16/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 3881]

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक : 28/06/2021

कमांक 1694/850/2021/50-2: विभाग अंतर्गत संचालित 10 शासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों को, जिलों की कार्यकर्ता/सहायिकाओं का पर्याप्त बैकलॉग न होने के कारण, निगरानी एवं मॉनिटरिंग तथा प्रशिक्षणार्थियों को संभागीय मुख्यालय पर पहुचने में सुविधा की दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में संचालित 10 शासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों को पद सहित निम्नानुसार प्रशिक्षण केन्द्रों को संभाग स्तर पर रिलोकेशन किया जाता है:-

क.	संभाग	वर्तमान में संचालित प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	स्थानांतरण किये जाने वाले प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	रिमार्क
1.	भोपाल	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र औबेदुल्लागंज जिला-रायसेन	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र औबेदुल्लागंज	यथावत
2.		शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, जिला- राजगढ	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन	
3.	जबलपुर	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, जिला- जबलपुर -1	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर	यथावत
4.	इंदौर	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, जिला-धार	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, मुरैना	
5.		शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, जिला- खरगोन	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर	
6.	रीवा	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, जिला-सतना	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, रीवा	
7.	सागर	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, जिला-सागर	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, सागर	यथावत
8.		शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव, जिला-छतरपुर	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, शहडोल	
9.	ग्वालियर	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, जिला- शिवपुरी	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर	
10.	नर्मदापुरम	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, पवारखेड़ा जिला-होशंगाबाद	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, पवारखेड़ा, जिला-होशंगाबाद	यथावत

उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्रों संभाग स्तर पर स्थानांतरित करने हेतु निम्नानुसार शर्ते पर होगी:-

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

परिशिष्ट -1

1. संभागीय मुख्यालयों पर सर्वप्रथम शासकीय भवन प्राप्त करने का प्रयास किया जावे। शासकीय भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में किराये के भवन हेतु कार्यवाही की जावे।
2. भारत सरकार द्वारा अशासकीय संस्थाओं द्वारा 3103.2020 के बाद प्रशिक्षण प्रारंभ करने की अनुमति आज दिनांक तक अप्राप्त हैं। भारत सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण 16 अशासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण कराया जाना संभव नहीं है।

उक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र नवीन स्थान पर 01 जुलाई 2021 से प्रारंभ किया जावे। वर्तमान स्थान पर संचालित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रो की सामग्री नवीन स्थान पर भेजने की जिम्मेदारी संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी की रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

25/6

(डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग,

पृ.कमांक 1695/850/2021/50–2 फा.स. भोपाल, दिनांक 28/06/2021.

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश।
4. संभागीय आयुक्त, संभाग– समस्त, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला समस्त, मध्यप्रदेश।
6. संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, संभाग–समस्त की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र समय पर नवीन स्थान पर प्रारंभ करना सुनिश्चित करे।
7. जिला कर्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला–समस्त, मध्यप्रदेश।
8. कोषालय अधिकारी, जिला समस्त, मध्यप्रदेश
9. मुख्यनिर्देशक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, जिला–राजगढ़, खरगोन, धार, सतना, छतरपुर, शिवपुरी,सागर ओबैदुल्लागंज (रायसेन), पवारखेड़ा (होशंगाबाद), जबलपुर, मध्यप्रदेश।
10. अनुभाग अधिकारी–2 गार्ड फाल की ओर सूचना/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

परिशिष्ट –एक

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र- 3881 की पूरक जानकारी

मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्र.1694/850/2021/50-2, दिनांक 28.06.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विभाग अंतर्गत 10 शासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों का, जिलों की कार्यकर्ता/सहायिकाओं का पर्याप्त बैकलॉग नहीं होने के कारण, निगरानी एवं मॉनिटरिंग तथा प्रशिक्षणार्थियों को संभागीय मुख्यालय पर पहूँचने में सुविधा को दृष्टिगत ररखते हुए पद सहित रिलोकेट किया गया है। उक्त आदेश के सरल क्र. 2 अनुसार शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, राजगढ को संभाग उज्जैन में रिलोकेट किया गया है। भारत सरकार से स्पष्ट निर्देष एवं आवंटन प्राप्त नहीं होने से प्रदेश में संचालित शासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रशिक्षण बंद हैं।

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश, शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल